



2026:AHC:21949

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 1338 वर्ष 2026

विनोद कुमार राय

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: आर्य गौतम, अतिप्रिय गौतम, दिव्य ज्योति

प्रत्यर्थी(यों) के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय सं.-33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार।

1. हमने याचिकाकर्ता की ओर से सुश्री आर्य गौतम विद्वान अधिवक्ता की ओर से उपस्थित सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव (यूपी 36077/2025) और राज्य की ओर से उपस्थित श्री मनीष कुमार की दलीलें सुनीं।

2. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उन्हें प्रारंभ में 09.10.1998 को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, उसके बाद उन्हें उप निरीक्षक और 25.07.2022 को निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया। उनका तबादला जीआरपी गोरखपुर से संत कबीर नगर में 12.07.2025 को कर दिया गया था, हालांकि गोरखपुर में उन्हें 25.10.2021 को सरकारी आवास संख्या 212-सी टाइप-II, जीआरपी लाइन्स, गोरखपुर आवंटित किया गया था। यद्यपि याचिकाकर्ता का तबादला 12.07.2025 को संत कबीर नगर में हो गया था, फिर भी याचिकाकर्ता का पुत्र शिवम राय गोरखपुर के डॉन बोस्को स्कूल में कक्षा बारहवीं में पढ़ रहा है और उसकी परीक्षाएं फरवरी और मार्च 2026 में होनी हैं। याचिकाकर्ता का पुत्र मई 2026 में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जेईई और आईआईटी परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 21.11.2016 के साशनादेश के अनुसार बताया कि उन्हें संत कबीर नगर में कोई आवास नहीं दिया गया है। हालांकि, उन्होंने गोरखपुर में अपने क्वार्टर को 31.03.2026 तक बनाए रखने के अपने दावे पर विचार करने तक अपने अनुरोध को सीमित किया है।

3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उक्त उद्देश्य के लिए, रिट याचिकाकर्ता को प्राधिकारी के समक्ष इस संबंध में एक शपथपत्र दाखिल करना होगा और एक वचन देना होगा।

4. पीठ पर किए गए निवेदनों को सुनने और समग्र तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निष्तारण करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह चौथे प्रत्यर्थी, एसएसपी, रेलवे गोरखपुर के समक्ष 13.02.2026 तक एक शपथपत्र/वचन प्रस्तुत करे कि याचिकाकर्ता 05.04.2026 तक क्वार्टर खाली कर देगा। उक्त आवेदन पर, याचिकाकर्ता को 05.04.2026 तक क्वार्टर रखने की अनुमति दी जाएगी और याचिकाकर्ता को इस संबंध में देय शुल्क/किराया अदा करना होगा।

5. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निष्तारण किया जाता है।

6. याचिकाकर्ता को दी गई सुरक्षा केवल उन्हीं परिस्थितियों में लागू रहेगी जिनमें याचिकाकर्ता समयसीमा का पालन करता है और आदेश की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं करता है, और यदि कोई उल्लंघन होता है, तो दी गई सुरक्षा पीठ के संदर्भ के बिना ही निरस्त हो जाएगी।

2 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



राजेश

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"